न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 252/2014 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

1. चन्द्रकिशोर पुत्र स्व0 सोहनलाल।
2. दशरथ कुमार पुत्र स्व0 सोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी आंवा तहसील कनवास जिला कोटा।

–प्रार्थी

बनाम

1. मोहनीबाई पुत्री श्रीलाल धाकड आंवा।
2. रामधनीबाई बेवा श्रीलाल धाकड निवासी आंवा।
3. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल गूर्जर निवासी मंगलपुरा तहसील कनवास।

– अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट नरेन्द्र कुमार कटारिया

अप्रार्थी की ओर से एडवोकेट महावीर मेरोठा।

निर्णय

दिनांक– 11.11.2020

प्रार्थी द्वारा जर्ये एडवोकेट प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास में खसरा नबंर 273 की 2.96 है0, आराजी स्थित है। जो प्रार्थीगण दशरथ , चन्द्रकिशोर व उनकी बहन मजूंलता व माता रूकमणी देवी के संयुक्त खाते में है। जिस पर प्रार्थीगण सभी सहखातेदार की ओर से काश्त काबिज हैं। यह कि उक्त खसरा नबंर 273 की आराजी में आने–जाने के लिये पुश्तैनी काल में ही आंवा से मंगलपुरा तक जाने वाले रोड खसरा नबंर 284 से खसरा नबंर 276 व 277 के मध्य रोड रास्ते का उपयोग किया जा रहा है। इस वर्णित किये गये रास्ते के अलावा खसरा नबंर 273 में आने–जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि कुछ समय पहले खसरा नबंर 277 के खातेदार अप्रार्थी क्रम 01 व 02 ने प्रार्थी के रास्ते के काम आ रही मेढ में से आधी मेड को अपने कब्जे में लेकर पत्थरों का कोट कर दिया जिससे आधा रास्ता अवरूद्व हो गया , वहीं अप्रार्थी क्रम 03 ने भी यह कह दिया कि वह आधा रास्ता उसकी मेढ पर है , इसलिये वह भी

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना–पत्र राजीनामा के अनुसार स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण चन्द्रकिशोर, दशरथ कुमार को अपनी आराजी ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का खजूरना में खसरा नबंर 273 में आने –जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये प्रतिवादी कन्हैयालाल अपने खाते की एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नबंर 276 में आंवा–मंगलपुरा सडक से उत्तरी तरफ पश्चिमी मेड पर सरकारी खाल तक 325 फुट लम्बाई में व 10 फुट चौडाई में रास्ता दिया जायेगा तथा चूंकि इस रास्ते की भूमि के बदले प्रतिवादी क्रम 03 कन्हैयालाल ने दो लाख रूपये वादीगण चन्द्रकिशोर व दशरथ कुमार से विभिन्न किश्तों में लिया जाना अपने राजीनामे में स्वीकार किया है। मुताबिक राजीनामा अनुसार अब रास्ते की भूमि (खसरा नबंर 276) पर कन्हैयालाल का कोई हक एवं अधिकार नहीं रहेगा प्रतिवादी नबंर 03 कन्हैयालाल द्वारा प्रार्थीगण को रास्ते के लिये दी गई उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रार्थीगण चन्द्रकिशोर पुत्र स्व0 सोहनलाल व दशरथ कुमार पुत्र स्व0 सोहनलाल के खाते में किस्म गै0मु0 रास्ते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Scanned by CamScanner

नहीं निकलने देगा, तथा अप्रार्थीगण ने मिलकर प्रार्थीगण का रास्ता रोक दिया और प्रार्थीगण को फसल नंही लाने दी, बढी मुश्किल से लोगों ने समझाबुझकर रास्ता दिलाया जिससे फसल निकाली गयी।

यह कि प्रार्थीगण ने पुश्तैनी काल में चले आ रहे रास्ते को बहाल करने हेतु तहसीलदार के समय कार्यालय 02.12.2013 को दिया जिन्होने ग्राम पंचायत खजूरना को भिजवाया गया, ग्राम पंचायत कोई निर्णय पारित नहीं किया। 45 दिवस से अधिक का समय गुजार कर तहसील कार्यालय में वापस प्रेषित कर दिया , जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई जाकर प्रार्थी को निर्देश दिये गये कि माननीय न्यायालय में 251(क) आर.टी.एक्ट. में कार्यवाही कर प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करें, इसलिये प्रार्थीगण के खेत में जाने वास्ते रास्ता प्राप्त करने के लिये यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये, दिनांक 05.08.2020 को प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी 01 व 02 का नाम उक्त प्रार्थना–पत्र से डिलीट करने बाबत प्रार्थना की गई, प्रार्थीगण की प्रार्थना स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 01 व 02 का नाम प्रार्थना–पत्र से डिलीट किया गया, दिनांक 18.08.2020 को वकील वादी द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया गया जो बाद शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 13.10.2020 को अप्रार्थी कन्हैयालाल की ओर से वकालत नामा प्रस्तुत किया गया जो बाद शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी कन्हैयालाल ने दिनांक 11.11.2020 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण चन्द्रकिशोर, दशरथ कुमार को अपनी आराजी ग्राम मंगलपुरा पटवार हल्का खजूरना में खसरा नबंर 273 में आने –जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिये प्रतिवादी कन्हैयालाल अपने खाते की एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नबंर 276 में आंवा–मंगलपुरा सडक से उत्तरी तरफ पश्चिमी मेड पर सरकारी खाल तक 325 फुट लम्बाई में व 10 फुट चौडाई में रास्ता उपलब्ध करवा दिया है तथा इस रास्ते की भूमि के बदले प्रतिवादी क्रम 03 कन्हैयालाल ने दो लाख रूपये वादीगण चन्द्रकिशोर व दशरथ कुमार से विभिन्न किश्तों में प्राप्त कर लिये हैं। अब रास्ते की भूमि पर कन्हैयालाल का कोई हक एवं अधिकार नहीं रहेगा तथा रास्ते की भूमि को वादीगण चन्द्रकिशोर व दशरथ दाधीच को अपने खाते दर्ज कराने का अधिकार होगा। मुताबिक राजीनामा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादी नबंर 03 कन्हैयालाल द्वारा प्रार्थीगण को रास्ते के लिये दी गई उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रार्थीगण के खाते में किस्म रास्ते में दर्ज कर दिया जावे। राजीनामा मय अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार कटारिया प्रार्थीगण व श्री महावीर मेरोठा एडवोकेट अप्रार्थी श्री कन्हैयालाल दोनों पक्षकारों के समक्ष पढकर सुनाया गया, पक्षकारों द्वारा राजीनामे में वर्णित तथ्यों को सत्य व स्वीकार किया गया। राजीनामा तस्दीक कर बाद शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

Scanned by CamScanner